FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), रायपुर जिला पाली	:	मृत भौमाराम पुत्र हरदेव कौम भांबी (नाऔलाद फौत) निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध संख्या 31/2020

(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2020/00038)

अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2020	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अप्रार्थी मृत भौमाराम पुत्र हरदेव के विरूद्व पेश किया है। ग्राम कुशालपुरा पटवार मण्डल कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली के खसरा नम्बर 596/751 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी दोयम का किस्म परिवर्तन कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.04.1976 को अप्रार्थी के हक में आवंटन किया गया। जिसकी पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 513 के द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 870 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रैणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। जैर प्रार्थना पत्र आराजी के संबंध में पटवार हल्का कुशालपुरा द्वारा जांच करने पर अप्रार्थी के नाऔलाद फौत होने एवं उसका कोई वारिस नहीं होने के संबंध में एवं उक्त आराजी पर वर्तमान में किसी का कब्जा नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः उक्त आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण को निरस्त फरमाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर भिजवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट कि प्रार्थी तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया है। अप्रार्थी लाऔलाद फौत हो चुका है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है, लेकिन कोई भी प्रकरण किसी मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रायपुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 की उप–धारा(1) के खण्ड(1) की पालना करते हुए पन्द्रह दिवस के भीतर पुनः नए सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	